पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

किस्तो पासवान

बनाम

बिहार राज्य

2017 की आपराधिक अपील (खं.पी.) सं.415
31 अगस्त, 2023

(माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली और माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्र शेखर झा)

विचार के लिए मुद्दा

क्या धारा 302 एवं 201 भारतीय दंड संहिता के तहत अभियुक्त की सजा तब विधिसम्मत थी जब कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं था और विचारण न्यायालय ने केवल साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 पर भरोसा किया?

हेडनोट्स

घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है और यह अभिलेख पर नहीं आया कि मृतका की मृत्यु जलने से हुई या गला घोंटने से। मृतका का शव नष्ट कर दिया गया और शव का पोस्टमार्टम नहीं हुआ। मृतका के नजदीकी रिश्तेदारों ने पहली बार न्यायालय में दहेज मांगने की बात कही। मृतका के रिश्तेदारों ने सभी अभियुक्तों पर समान आरोप लगाए, लेकिन विचारण न्यायालय ने अन्य सह-अभियुक्तों के संबंध में गवाहों की कहानी पर विश्वास नहीं किया। (कंडिका18)

चार स्वतंत्र अभियोजन गवाह, जो मृतका के पड़ोसी हैं, ने स्पष्ट कहा कि मृतका के ससुराल वालों द्वारा दहेज की कोई मांग नहीं की गई और मृतका का अपने पति व ससुराल वालों के साथ अच्छा संबंध था। अभियोजन अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल रहा और इसीलिए विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 पर भरोसा करना अनुचित था। (कंडिका 22)

विचारण न्यायालय ने दोषसिद्धि का आदेश पारित करते समय त्रुटि की है। अपील स्वीकार

की जाती है। (कंडिका 24, 26)

न्याय दृष्टान्त

रीना हज़ारिका बनाम असम राज्य, **(2019) 13 एससीसी 289**; शम्भू नाथ मेहरा बनाम अजमेर राज्य, **ए.आई.आर. 1956 एससी 404**

अधिनियमों की सूची

भारतीय दंड संहिता, 1860; दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872

मुख्य शब्दों की सूची

दहेज मृत्यु; साक्ष्य का भार; धारा 106 साक्ष्य अधिनियम; मृतका की मानसिक स्थिति; स्वतंत्र गवाह; परिस्थितिजन्य साक्ष्य; बरी; अभियोजन पक्ष की कहानी में विरोधाभास; त्वरित न्यायालय; अंतिम बार साथ देखे जाने का सिद्धांत

प्रकरण से उत्पन्न

06.03.2017 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं 08.03.2017 की सजा के आदेश से, जो माननीय पीठासीन अधिकारी, त्वरित न्यायालय-I, नालंदा, बिहार शरीफ द्वारा एस.टी. केस संख्या 421/2006, 649/2007, 434/2008, बिहार थाना कांड संख्या 429/2005 से उत्पन्न मामलों में पारित किया गया।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्त्ता के लिए : श्री रवीन्द्र प्रसाद सिंह, अधिवक्ता;

राज्य के लिए : श्री दिलीप कुमार सिन्हा, स.लो.अ.;

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: अमित कुमार मल्लिक, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2017 की आपराधिक अपील (खं.पी.) सं.415

थाना काण्ड संख्या- 429 वर्ष- 2005 थाना- बिहार जिला- नालंदा से उद्भूत

==========

किस्तो पासवान, पिता- गरभु पासवान, निवासी,गाँव-सकुनत, थाना- बिहार, जिला-नालंदा।

.... अपीलकर्त्ता

बनाम

बिहार राज्य

.... उत्तरदाता

==========

उपस्थिति :

अपीलकर्त्ता के लिए : श्री रवीन्द्र प्रसाद सिंह, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री दिलीप कुमार सिन्हा, स.लो.अ.

==========

गणपूर्ति: माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्र शेखर झा

मौखिक निर्णय

(प्रतिः माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली)

दिनांक: 31-08-2023

वर्तमान अपील अपीलकर्त्ता-दोषी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे आगे 'संहिता' कहा जाएगा) की धारा 374(2) के अंतर्गत दायर की गई है। इसमें विद्वान पीठासीन अधिकारी, त्वरित न्यायालय-I, नालंदा (बिहार शरीफ) द्वारा दिनांक 06.03.2017 को दिए गए दोषसिद्धि के निर्णय और दिनांक 08.03.2017 के सजा के आदेश को चुनौती दी गई है। एस.टी. मामला संख्या 421/2006/649/2007/434/2008, जो बिहार थाना काण्ड सं. 429/2005 से उद्भूत हुआ था, जिसके तहत संबंधित विचारण न्यायालय ने वर्तमान अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता(जिसे आगे 'भा.दं.सं.' कहा जाएगा) की धारा 302 और 201 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया है। उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कठोर कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई

गई है। जुर्माना न भरने पर उसे दो साल का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। साथ ही, उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के तहत पांच साल का कठोर कारावास और 5,000 रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई है। हालांकि, दोनों सजाएं साथ-साथ चलने का आदेश दिया गया है

2. वर्तमान मामले का तथ्यात्मक सार इस प्रकार है:-

"सूचक की बेटी बबीता देवी की शादी लगभग चार साल पहले किस्तो पासवान के साथ हुई थी जिसमें सूचक ने अपनी क्षमता के अनुसार दहेज दिया था। चूँकि मृतक बबीता देवी को कम सुनाई देता था, इसलिए गरभु पासवान ने अपनी बेटी को यह कहकर अपने घर वापस भेज दिया कि उसे कम सुनाई देता है और वह कोई काम नहीं कर सकती। यह भी कहा गया है कि चार महीने बाद, सूचक की बेटी ने अपने पिता पर उसे ससुराल भेजने का दबाव डाला, फिर उसे वहाँ भेज दिया गया और उसके बाद से वह सकुनत में रह रही थी। यह भी आरोप लगाया गया है कि 21.12.2005 को, जब सूचक का बेटा, संजय पासवान अपनी बहन से मिलने सकुनत गया, तो नन्हकू पासवान ने उसे बताया कि उसकी बहन को जला दिया गया है। संजय पासवान आरोपी के घर पहुँचा और गरभु पासवान से उसकी बहन के बारे में पूछताछ की। उसने बताया कि उसकी बहन घर से भाग गई। फिर, उसने गाँव वालों से अपनी बहन के बारे में पूछताछ की और आस-पास के लोगों ने उसे बताया कि उसकी बहन को जलाकर मार डाला गया है और उसके शव का अंतिम संस्कार उसके ससुराल वालों ने कर दिया है, जिसमें अपीलार्थी भी शामिल है। सूचक का बेटा उसके घर वापस आया और उसे घटना के बारे में बताया। सूचक को शक था कि उसकी

बहन के शव को गायब करने में अपीलकर्ता और अन्य लोगों का हाथ है।"

3. प्रथम सूचक द्वारा दी गई उपरोक्त लिखित प्रतिवेदन के आधार पर, 26.12.2005 को लगभग 7.30 बजे सभी नामित अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201 और 498-ए के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके बाद अनुसंधान अधिकारी ने जाँच शुरू की और जाँच के दौरान, गवाहों के बयान दर्ज किए और दस्तावेज़ी साक्ष्य एकत्र किए और जाँच पूरी होने के बाद, संबंधित दंडाधिकारी न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी और अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र दायर किया। हालाँकि, चूँकि मामला विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय था, विद्वान दंडाधिकारी ने इसे संबंधित सत्र न्यायालय को सौंप दिया, जहाँ इसे एस.टी. मामला संख्या 421/2006/649/2007/434/2008 के रूप में क्रमांकित किया गया।

4. मुकदमे के दौरान, अभियोजन पक्ष ने दस गवाहों से पूछताछ की और दस्तावेजी साक्ष्य भी पेश किए। इसके बाद, अभियुक्त का बयान धारा 313 के तहत दर्ज किया गया। मुकदमे की समाप्ति के बाद, विचारण न्यायालय ने वर्तमान अपीलार्थी को दोषी ठहराया, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। हालाँकि, अन्य अभियुक्त, जो अपीलार्थी के निकट संबंधी हैं, विचारण न्यायालय ने उन्हें बरी कर दिया है।

5. विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के फैसले के खिलाफ, अपीलार्थी ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

6. विद्वान अधिवक्ता श्री रवीन्द्र प्रसाद सिंह ने अपीलार्थी की ओर से और श्री दिलीप कुमार सिन्हा ने उत्तरदाता-राज्य के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में कार्य किया।

7. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता, श्री रवींद्र प्रसाद सिंह ने

अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा दिए गए बयान का हवाला दिया और उसके बाद, यह दलील दी कि विचाराधीन घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है और, वास्तव में, मृतक, यानी अपीलार्थी की पत्नी का शव बरामद नहीं हुआ था और इसलिए, उसका *शव-परीक्षण* भी नहीं किया गया था। यह भी दलील दी गई है कि मृतक के भाई को मृतक के पड़ोसियों और नन्हकू पासवान से मिली जानकारी के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उक्त गवाह को यह जानकारी मिली थी कि मृतक की मृत्यु जलने के कारण हुई है और उसे वर्तमान अपीलकर्ता और अन्य सभी आरोपियों ने मार डाला है। उक्त जानकारी के आधार पर, मृतक के पिता ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। इस स्तर पर, यह दलील दी गई है कि अभियोजन पक्ष ने नन्हकू पासवान या अन्य पड़ोसियों से पूछताछ नहीं की है, जिनसे मृतक के भाई को मृतक की मृत्यु के बारे में जानकारी मिली थी। इसके विपरीत, मृतका के पड़ोसी, स्वतंत्र गवाहों, अर्थात् अ.सा.-2, अ.सा.-3, अ.सा.-7 और अ.सा.-8, द्वारा दिए गए बयान से यह पता चलता है कि उक्त गवाहों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अपीलार्थी और अन्य अभियुक्तों द्वारा दहेज की कोई मांग नहीं की गई थी और मृतक के अपने पति और ससुराल वालों के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। उक्त गवाहों ने यह भी कहा है कि मृतक मानसिक रूप से विक्षिप्त थी और उसे कम सुनाई देता था और वह बहरी थी और वह खुद जल गई थी और किसी ने उसे नहीं जलाया था। इसलिए, विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जब अभियोजन पक्ष के गवाहों ने मृतका के रिश्तेदारों के बयान का समर्थन नहीं किया है, तो विचारण न्यायालय ने वर्तमान अपीलार्थी के खिलाफ दोषसिद्धि का फैसला सुनाकर एक गलती की है।

7.1. इस स्तर पर, विद्वान अधिवक्ता ने यह भी बताया है कि अपीलार्थी के अन्य सभी निकट संबंधी, जो मृतक के ससुराल वाले भी हैं, को विचारण न्यायालय ने बरी कर दिया है और अन्य सह-अभियुक्तों को बरी करते हुए, विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई इसी प्रकार की कहानी पर विश्वास नहीं किया है। इस स्तर पर, विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया है कि विचारण न्यायालय ने भारतीय साक्ष्य

अधिनियम की धारा 106 के आधार पर अपीलकर्ता की दोषसिद्धि दर्ज की है। हालाँकि, अभियोजन पक्ष का यह कर्तव्य है कि वह अभियुक्त के विरुद्ध मामले को संदेह से परे साबित करे और वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष इसे साबित करने में विफल रहा है। इसके बावजूद, विचारण न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित कर दिया है। इसलिए, विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया कि आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया जाए और अपीलकर्ता को बरी कर दिया जाए।

8. दूसरी ओर, राज्य के अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री दिलीप कुमार सिन्हा ने अपील का विरोध किया है और अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा दिए गए बयान का उल्लेख किया है और मुख्य रूप से अ. सा.-1, अ. सा.-4 और अ. सा.-6 के बयान का उल्लेख किया है, जो क्रमशः मृतक की मां, पिता और भाई हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त गवाहों के बयान से यह पता चलता है कि मृतक की मृत्यु अपीलार्थी के स्वामित्व वाले घर में हुई थी और मृतक के शव का निपटान अपीलार्थी द्वारा उसकी मृत्यु के बाद किया गया था और इसलिए, यह अपीलार्थी को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत बोझ का निर्वहन करना था ताकि यह साबित किया जा सके कि मृतक की मृत्यु किस तरीके से हुई थी। इसलिए, विचारण न्यायालय ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 में निहित प्रावधानों पर उचित रूप से भरोसा किया है। इसलिए, विद्वान स.लो.अ. ने आग्रह किया कि विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय पारित करते समय कोई त्रुटि नहीं की गई है और इसलिए, वर्तमान अपील खारिज की जाए।

9. पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और अभिलेख पर रखी गई सामग्री को देखने के बाद, यह सामने आएगा कि अभियोजन पक्ष ने मृतक के तीन निकट रिश्तेदारों सहित विचारण न्यायालय के समक्ष दस गवाहों से पूछताछ की थी। अभियोजन पक्ष ने चार स्वतंत्र गवाहों से भी पूछताछ की है, जो मृतक के पड़ोसी हैं और जांच अधिकारी (अ.सा.-9) से भी पूछताछ की है।

10. अ.सा.-1, चंदेश्वरी देवी, मृतक की माँ हैं, जिन्होंने अपने मुख्य-परीक्षण में कहा है कि उनकी बेटी बबीता की शादी सात साल पहले अपीलार्थी के साथ की गई थी। इसके बाद वह अपने ससुराल में रह रही थी।य ह आगे कहा गया है कि सभी आरोपी दहेज के रूप में ₹20,000/- की मांग कर रहे थे। उक्त गवाह ने उन सभी अभियुक्तों के नाम भी बताए, जो मृतक से दहेज की मांग कर रहे थे। यह भी आरोप है कि सभी आरोपी उसकी बेटी को शारीरिक और मानसिक यातना दे रहे थे। उक्त गवाह द्वारा यह भी कहा गया है कि उसने अपने बेटे संजय पासवान को बबीता के घर भेजा था। हालांकि, उक्त घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। जब संजय ने पड़ोसियों से पूछताछ की, तो पड़ोसियों ने बताया कि उसकी बहन की हत्या कर दी गई है और सभी आरोपियों ने उसके शव को ठिकाने लगा दिया है। उक्त गवाह ने न्यायालय में मौजूद आरोपियों की पहचान की।

10.1. प्रति-परीक्षण के दौरान, उक्त गवाह ने कहा है कि उसके बेटे संजय ने उसे उस पड़ोसी के नाम के बारे में सूचित नहीं किया जिसने उसे बबीता की मृत्यु के बारे में सूचित किया था। संजय ने उसे बबीता की हत्या के तरीके के बारे में नहीं बताया।उसने आगे कहा है कि उसके दामाद यानी वर्तमान अपीलार्थी ने उससे पैसे की मांग की थी। उसने आगे कहा है कि उसने पुलिस को सूचित नहीं किया कि उसकी बेटी की मौत जलने की चोटों के कारण हुई है।

11. अ.सा. -2, जो मृतक के पड़ोसी हैं, ने जांच में बताया कि बबीता देवी उनके घर के पास रहती थीं और उनके पति का नाम किस्तो पासवान है। जले हुए घावों के कारण बबीता की मृत्यु हो गई। प्रति-परीक्षण के दौरान, उक्त गवाह ने विशेष रूप से कहा है कि बबीता के अपने पति और ससुराल वालों के साथ अच्छे संबंध थे और बबीता के ससुराल वालों ने उससे दहेज नहीं माँगा है, न ही वे बबीता को कोई यातना दे रहे थे। उक्त गवाह ने आगे कहा कि बबीता को सुनने में कठिनाई हो रही थी और वह मानसिक रूप से विक्षिप्त थी और जलने की चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। उसे किसी ने नहीं जलाया है।

12. अ.सा.-3 जगदीश पासवान भी मृतक का पड़ोसी है और उक्त गवाह ने भी वही बयान दिया है जो अ.सा.-2 ने दिया था। इसी प्रकार, अ.सा.-7 बृजनंदन पासवान और अ.सा.-8 राम नंदन पासवान भी मृतक के पड़ोसी हैं। दोनों गवाहों ने प्रति-परीक्षण के दौरान यह भी कहा है कि बबीता कम सुन पाती थी और मानसिक रूप से विकलांग थी और उसने खुद को जला लिया, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए अपीलार्थी (अभियुक्त किस्तो पासवान) ने उक्त घटना की जानकारी अपने ससुराल वालों (मृतका के माता-पिता) को दी और वे दाह संस्कार के समय मौजूद थे। उक्त गवाहों ने यह भी कहा है कि अपीलार्थी/अभियुक्त मृतक से दहेज की मांग नहीं कर रहा था और न ही उसे कोई यातना दे रहा था।

13. अ.सा.-4 राजेंद्र पासवान, जो मृतक के पिता और सूचक हैं, ने अपने मुख्य-परीक्षण में कहा है कि बबीता कुमारी उनकी बेटी थी। बबीता का विवाह 7-8 वर्ष से पहले अपीलार्थी अर्थात किस्तो पासवान के साथ संपन्न किया गया था। सभी ससुराल वाले उससे 20,000 रुपये की मांग कर रहे थे और बबीता को शारीरिक और मानसिक यातना भी दे रहे थे क्योंकि उसकी बेटी को दहेज नहीं दिया गया था। बबीता को आरोपी ने गला घोंटकर मार डाला और उसके बाद शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उक्त गवाह ने प्रति-परीक्षण में कहा है कि यह सच नहीं है कि उसकी बेटी की मौत जलने की चोटों के कारण हुई थी। उक्त गवाह को उस पड़ोसी/व्यक्ति का नाम भी नहीं पता था जिसने उसके बेटे को बताया था कि बबीता की उसके ससुराल वालों ने हत्या कर दी है। उक्त गवाह ने इस बात से भी इनकार किया है कि उसकी बेटी बबीता मानसिक रूप से विक्षिप्त थी और उसे कम सुनाई देता था।

14. अ.सा.-5 रामजी प्रसाद एक गवाह है, जिसे पता चला कि राजेंद्र पासवान की बेटी की उसके ससुराल में मृत्यु हो गई है और उसे राजेंद्र पासवान यानी राजेंद्र पासवान की पत्नी अ.सा.-4 और अन्य ग्रामीणों से भी पता चला कि बबीता की हत्या इसलिए की गई

है क्योंकि बबीता के माता-पिता ने बबीता के ससुराल वालों को 20,000/- रुपये नहीं दिए हैं और उसके बाद, उसके शव का निपटारा किया जाता है। उक्त गवाह ने विशेष रूप से प्रति-परीक्षण में स्वीकार किया है कि उसे मृतक बबीता की मृत्यु के संबंध में कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है।

15. अ.सा.-6 संजय पासवान मृतक का भाई है, जिसे पहली बार पता चला कि उसकी बहन की मौत उसके ससुराल में हुई है और उसके बाद उसके शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। अपनी जाँच के दौरान, उक्त गवाह ने विशेष रूप से कहा है कि जब वह अपनी बहन बबीता के घर गया था, तो पड़ोसियों ने उसे सूचित किया कि बबीता की उसके ससुराल वालों ने हत्या कर दी थी।उक्त गवाह ने आगे कहा कि उसकी बहन की हत्या इसलिए की गई क्योंकि बबीता के ससुराल वालों को ₹40,000/- दहेज नहीं दिया गया था और इसलिए उसके शव को ठिकाने लगा दिया गया। प्रति-परीक्षण के दौरान, उक्त गवाह ने बताया कि ससुराल वाले ₹20,000/- की मांग कर रहे थे। उसे पड़ोसियों के नाम की जानकारी नहीं है। हालाँकि, उक्त गवाह ने अपनी बहन बबीता के पड़ोसी के रूप में प्रह्लाद नाम के एक व्यक्ति का नाम भी बताया।

16. अ.सा.-9 बीरेंद्र कुमार बिहार थाना में पुलिस अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। उक्त अनुसंधान अधिकारी ने अपने मुख्य परीक्षण में बताया है कि उन्होंने किस प्रकार जाँच की और गवाहों के बयान दर्ज किए। उन्होंने यह भी बताया है कि उन्होंने घटनास्थल यानी मृतका के घर का दौरा किया था। उन्होंने यह भी बताया कि उस दौरे के दौरान उन्हें बताया गया था कि मृतका की मृत्यु उसके कमरे में जलने के कारण हुई थी। हालांकि, उक्त गवाह यानी अनुसंधान अधिकारी ने प्रति-परीक्षण के दौरान विशेष रूप से स्वीकार किया है कि सूचक ने धारा 161 के तहत दर्ज अपने बयान में ससुराल वालों द्वारा दहेज की माँग या मृतका को उसके ससुराल वालों द्वारा शारीरिक और मानसिक यातना देने के बारे में नहीं बताया है और इसलिए, उन्होंने शुरू में भा.दं.सं. की धारा 302, 201 के तहत प्राथमिकी दर्ज

की थी। उक्त गवाह ने आगे स्वीकार किया कि प्रथम सूचक ने अपने बयान में, जो कि संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज किया गया था, स्पष्ट रूप से कहा है कि उसकी बेटी बबीता कम सुनती थी और मानसिक रूप से विकलांग थी। इसके अलावा, सूचक ने अपने बयान में यह भी नहीं कहा है कि आरोपियों ने उसकी बेटी को आग लगाकर मार डाला है। हालांकि, उसे केवल यह बताया गया था कि उसकी हत्या कर दी गई और उसके बाद उसके शव को ठिकाने लगा दिया गया। उक्त गवाह ने आगे स्वीकार किया कि यद्यपि वह घटनास्थल पर गया था और उसे पता चला कि मृतका की मृत्यु उसके कमरे में हुई थी, लेकिन उक्त कमरे को खोला नहीं गया था, न ही उसने उक्त स्थान का कोई *पंचनामा* तैयार किया है और न ही उसने उक्त कमरे से कोई सामग्री एकत्र की है।

16.1. अनुसंधान अधिकारी ने प्रति-परीक्षण के दौरान यह भी स्वीकार किया कि मृतका की माँ, अर्थात् अ.सा.-1 चंदेश्वरी देवी ने 15.02.2006 को बयान देते समय यह नहीं बताया था कि बबीता के ससुराल वालों ने ₹20,000/- दहेज की मांग की थी, न ही उन्होंने बिपिन पासवान का नाम बताया था जो मृतका का देवर है। उक्त गवाह ने यह भी स्वीकार किया कि मृतका के भाई, अर्थात् संजय पासवान अभियोगी-6 ने भी अपने बयान में मृतका के ससुराल वालों द्वारा ₹20,000/- दहेज की मांग के बारे में नहीं बताया है। इसके अलावा, संजय पासवान ने अनुसंधान अधिकारी को सूचित किया है कि उनकी बहन कम सुनती थी और उनकी बहन की मृत्यु के संबंध में जानकारी नन्हकू पासवान नामक व्यक्ति ने दी थी।

17. अ.सा.-10 मिथिलेश चौधरी एक गवाह है जिसने सूचक द्वारा दिए गए *फर्दबयान* में गवाह के रूप में हस्ताक्षर किए हैं।

18. हमने अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा दिए गए बयान और अभिलेख में रखी गई अन्य सामग्री का अध्ययन किया है, जिससे यह पता चलता है कि संबंधित घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है और यह भी अभिलेख में नहीं आया है कि मृतक की मृत्यु कैसे

हुई, जलने से या गला घोंटने से। मृतक के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया था और शव का *शव-परीक्षण* नहीं किया गया था। अभियुक्तों के खिलाफ मामला साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने मृतक के तीन निकट संबंधियों से पूछताछ की थी, अर्थात् मृतक की अ.सा.-1 माँ, अ.सा.-4 पिता और अ.सा.-6 भाई। अभियोजन पक्ष ने चार स्वतंत्र गवाहों से भी पूछताछ की है जो मृतक के पड़ोसी हैं। अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान से यह पता चलता है कि मृतक के निकट संबंधियों ने पहली बार न्यायालय के समक्ष मृतक के ससुराल वालों द्वारा दहेज की मांग यानी ₹20,000/- के बारे में बताया है। उक्त पहलू को अनुसंधान अधिकारी ने अपनी प्रति-परीक्षण के दौरान स्वीकार किया है। इस स्तर पर यह ध्यान देने योग्य है कि अपीलार्थी, जो मृतका का पति है, को छोड़कर, अन्य सभी आरोपी, जो अपीलार्थी के निकट संबंधी हैं, को विचारण न्यायालय ने बरी कर दिया है। यह ध्यान देने योग्य है कि मृतका के रिश्तेदारों, अर्थात् अ.सा.-1, अ.सा.-4 और अ.सा.-6, द्वारा सभी आरोपियों के खिलाफ इसी प्रकार के आरोप लगाए गए हैं। इसके बावजूद, विचारण न्यायालय ने अन्य सह-अभियुक्तों के संबंध में उक्त गवाहों की कहानी पर विश्वास नहीं किया है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि प्रारंभ में प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 201 के तहत दर्ज की गई थी। हालाँकि, विचारण न्यायालय के समक्ष, भारतीय दंड संहिता की धारा 304-बी, 498-ए और 201 के तहत आरोप तय किए गए थे। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश से यह पता चलता है कि विचारण न्यायालय ने दहेज की माँग के संबंध में अभियोजन पक्ष की कहानी पर विश्वास नहीं किया है और इसलिए, सभी आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 304-बी और 498-ए के तहत दंडनीय अपराध से बरी कर दिया गया है। वर्तमान अपीलार्थी को केवल साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106 के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के साथ धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है।

19. वर्तमान मामले की उपरोक्त पृष्ठभूमि में, इस स्तर पर, हम भारतीय साक्ष्य

अधिनियम, 1872 की धारा 106 में निहित प्रावधान का उल्लेख करना चाहेंगे, जो निम्नानुसार प्रदान करता हैः.

> "**106 तथ्य को सिद्ध करने का भार, विशेष रूप से ज्ञान के अंतर्गत**— जब कोई तथ्य विशेष रूप से किसी व्यक्ति के ज्ञान में हो, तो उस तथ्य को सिद्ध करने का भार उस व्यक्ति पर होता है।"

19.1. उपरोक्त प्रावधान से यह पता चलता है कि जब कोई तथ्य विशेष रूप से किसी व्यक्ति के ज्ञान में होता है तो उस तथ्य को साबित करने का भार उस पर होता है।

20. विचारण न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि जब मृतक की मृत्यु अपीलार्थी के घर पर हुई है जिसमें अपीलार्थी और उसकी पत्नी अर्थात मृतक रह रहे थे और जब उक्त घर अपीलार्थी के स्वामित्व में है, तो यह अपीलार्थी का कर्तव्य था कि वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत बोझ का निर्वहन करे, अर्थात यह अपीलार्थी का कर्तव्य था कि वह न्यायालय के समक्ष उस तरीके का खुलासा करे जिसमें घटना हुई थी और मृतक की मृत्यु हुई थी और इसलिए इस आधार पर अपीलार्थी को दोषी ठहराया गया है।

20.1. इस स्तर पर, हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **रीना हजारिका बनाम असम राज्य** मामले में दिए गए निर्णय का उल्लेख करना चाहेंगे, जो **(2019) 13 एससीसी 289** में प्रतिवेदन किया गया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका-9 में निम्नलिखित टिप्पणी की है:-

> "**9**. परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मूल तत्व पूर्व उदाहरणों द्वारा अच्छी तरह स्थापित हैं और हम इसे दोहराना और आदेश पर अनावश्यक बोझ डालना आवश्यक नहीं समझते। यह कहना पर्याप्त है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में अभियोजन पक्ष को परिस्थितियों की श्रृंखला की कड़ियों में निरंतरता स्थापित करने की आवश्यकता होती है, ताकि अभियुक्त के हमलावर होने के एकमात्र और अपरिहार्य निष्कर्ष

> पर पहुँचा जा सके, जो अभियुक्त की निर्दोषता के साथ संगत किसी अन्य परिकल्पना की संभावना के साथ असंगत या असंगत हो। किसी मामले में तथ्यों और साक्ष्यों के बिना, केवल अंतिम-देखे गए सिद्धांत का आह्वान, साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106 के तहत अभियुक्त पर भार डालने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, जब तक कि अभियोजन पक्ष पहले प्रथम दृष्टया मामला स्थापित न कर दे। यदि परिस्थितियों की श्रृंखला में कड़ियाँ पूर्ण नहीं हैं, और अभियोजन पक्ष प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने में असमर्थ है, जिससे यह संभावना बनी रहती है कि घटना किसी अन्य तरीके से हुई होगी, तो ज़िम्मेदारी अभियुक्त पर नहीं आएगी, और उसे संदेह का लाभ देना होगा।

21. **शंभू नाथ मेहरा बनाम अजमेर राज्य** के मामले में, जैसा कि **एआईआर 1956 एससी 404** में रिपोर्ट किया गया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 अभियोजन पक्ष पर निहित साक्ष्य के भार का विकल्प नहीं है।

21.1. इस प्रकार, उपरोक्त निर्णयों से यह कहा जा सकता है कि किसी आपराधिक मुकदमे में, अभियुक्त के अपराध को उचित संदेह से परे साबित करने का भार हमेशा अभियोजन पक्ष पर होता है और साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 का उद्देश्य अभियोजन पक्ष को इस भार से मुक्त करना नहीं है। इसके अलावा, केवल तभी जब अभियोजन पक्ष कुछ ऐसे तथ्य साबित कर दे जिनसे कुछ अन्य तथ्यों के बारे में उचित निष्कर्ष निकाला जा सके, जो अभियुक्त द्वारा अपने विशेष ज्ञान के आधार पर स्पष्ट किए जाने तक अभियुक्त को दोषी ठहराते हैं। ऐसी परिस्थितियों में, अभियुक्त को स्पष्टीकरण देना होगा, अन्यथा साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 अभियुक्त पर अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई भार नहीं डालती है।

22. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई उपरोक्त टिप्पणियों और साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, यदि वर्तमान मामले

के तथ्य, जैसा कि यहां ऊपर चर्चा की गई है, यह पता चलता है कि अभियोजन पक्ष अपने बोझ का निर्वहन करने में विफल रहा है और इसलिए, विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 पर रखी गई निर्भरता गलत है। इस स्तर पर, यह भी ध्यान देने योग्य है कि चार स्वतंत्र अभियोजन गवाह हैं, जो मृतक के पड़ोसी हैं, जिन्होंने न्यायालय के समक्ष बयान देते हुए विशेष रूप से कहा है कि मृतक के ससुराल वालों द्वारा दहेज की कोई मांग नहीं की गई थी और मृतक के अपने पति और ससुराल वालों के साथ अच्छे संबंध थे। उन्होंने यह भी कहा है कि मृतक कठोर सुनवाई और मानसिक रूप से विक्षिप्त थी और उसके ससुराल वालों ने उसकी हत्या नहीं की है। इस प्रकार, स्वतंत्र अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान से यह कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है और, इसलिए, विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 पर भरोसा करना भी मान्य नहीं है।

23. विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश से आगे यह पता चलता है कि विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को छोड़कर अन्य अभियुक्तों के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत कहानी पर विश्वास नहीं किया है और इसलिए, विचारण न्यायालय ने वर्तमान अपीलार्थी के सभी निकट रिश्तेदारों और मृतक के ससुराल वालों को बरी कर दिया है। हालांकि, आश्चर्य की बात है कि निचली न्यायालय ने अपीलार्थी के खिलाफ दोषसिद्धि का आदेश पारित करते समय उक्त गवाहों के बयान पर भरोसा किया है।

24. उपरोक्त चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि विचारण न्यायालय ने वर्तमान अपीलार्थी के खिलाफ दोषसिद्धि का आदेश दर्ज करते समय एक त्रुटि की है और इसलिए, आक्षेपित आदेश को अपास्त करने और दरकिनार करने की आवश्यकता है।

25. बिहार थाना काण्ड सं. 429/2005 से उद्भूत एस.टी. मामला संख्या 421/2006/649/2007/434/2008 में विद्वान पीठासीन अधिकारी, त्वरित न्यायालय-I,

नालंदा(बिहार शरीफ) द्वारा पारित दिनांक 06.03.2017 को दोषसिद्धि का निर्णय और दिनांक 08.03.2017 को सजा का आदेश अपास्त और दरकिनार किया जाता है। अपीलार्थी, अर्थात किस्तो पासवान को दोषमुक्त किया जाता है। विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा उन पर लगाए गए आरोपों के सम्बन्ध में, उन्हें तत्काल जेल से रिहा करने का निर्देश दिया जाता है, यदि किसी अन्य मामले में उनकी उपस्थिति आवश्यक न हो ।

26. अपील की अनुमति दी जाती है।

(विपुल एम. पंचोली, न्यायमूर्ति)

(चंद्र शेखर झा, न्यायमूर्ति)

संजीत/सचिन/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।